



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 26 फरवरी, 2024

फाल्गुन 7, 1945 शक संवत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग-1

संख्या 64/79-वि-1-2024-1-क-5-2024

लखनऊ, 26 फरवरी, 2024

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश लिफ्ट और एस्केलेटर विधेयक, 2024 जिससे ऊर्जा अनुभाग-3 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 26 फरवरी, 2024 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 2024 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश लिफ्ट और एस्केलेटर अधिनियम, 2024

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 2024)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश राज्य में लिफ्ट तथा एस्केलेटर और उनसे संबंधित समस्त मशीनरी तथा साधित्रों के निर्माण, संस्थापन, अनुरक्षण और सुरक्षित चालन के रजिस्ट्रीकरण तथा विनियमन और उससे संबंधित एवं आनुषंगिक मामलों का उपबंध करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में एतद्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश लिफ्ट और एस्केलेटर अधिनियम, 2024 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम और विस्तार

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य के लिये होगा।

परिभाषाएं

2—जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में,—

(क) "एएमसी" का तात्पर्य वार्षिक अनुरक्षण संविदा से है;

(ख) "स्वचालित बचाव युक्ति" या "ए0आर0डी0" का तात्पर्य लिफ्ट कार को लैंडिंग हेतु गतिमान करने तथा लैंडिंग एवं लिफ्ट केज द्वार को एक साथ खोलने के लिये विद्युत आपूर्ति भंग या विफल होने के मामले में स्वचालित रूप से चलने वाली युक्ति से है;

(ग) "बलस्टर" का तात्पर्य ऊपर से पतला और नीचे से उभार युक्त किसी छोटे स्तम्भ से है;

(घ) "बेलस्ट्रेड" का तात्पर्य एस्केलेटर या मूविंग वॉक के किसी भाग से है जो स्थिरता प्रदान करके, गतिमान भाग से संरक्षा तथा हैंडरेल को सहारा देकर उपयोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। इसका तात्पर्य गिरने के खतरे को रोकने के लिए एलीवेटर के शीर्ष पर लगाये गये बैरिकेड से भी है;

(ङ) "कॉम्प्लेट" का तात्पर्य किसी नुकीली दांतो वाली प्लेट से है जो एस्केलेटर लैंडिंग का भाग बनती है और यात्रा की सीमा पर सीढ़ियों के क्लिफ से जुड़ी होती है;

(च) "निदेशक, विद्युत सुरक्षा" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार के विद्युत सुरक्षा निदेशक से है, और इसमें अपर निदेशक, विद्युत सुरक्षा तथा संयुक्त निदेशक, विद्युत सुरक्षा सम्मिलित होंगे;

(छ) "जिला मजिस्ट्रेट" का तात्पर्य अधिकारिता रखने वाले जिला मजिस्ट्रेट से है;

(ज) "डिवीजनल कमिश्नर" का तात्पर्य अधिकारिता रखने वाले राजस्व डिवीजनल के डिवीजनल कमिश्नर से है;

(झ) "एस्केलेटर" का तात्पर्य यात्रियों को ऊपर उठाने या उतारने के लिए उपयोग की जाने वाली निरंतर चलती झुकाव वाली सीढ़ी या स्नवे, जो बिजली द्वारा संचालित होती है, से है;

(ञ) "एस्केलेटर संस्थापन" का तात्पर्य किसी संस्थापन से है जिसमें एस्केलेटर, प्रचालन तंत्र, ट्रैक, ड्रस या गर्डर, बेलस्ट्रेडिंग, स्टेपट्रेड एवं लैंडिंग और एस्केलेटर के प्रचालन से सीधे जुड़े सभी चैन, तार और संयंत्र सम्मिलित हैं;

(ट) "सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार से है;

(ठ) "लिफ्ट" का तात्पर्य, कारखाना अधिनियम, 1948 (अधिनियम संख्या 63 सन् 1948) के अधीन आच्छादित उत्तोलकों या लिफ्ट को छोड़कर, उत्तोलन तथा नीचे लाने वाले केज से सुसज्जित तंत्र से है जो ऊर्ध्वगामी या अधोगामी दिशा में गतिमान हो और जो विद्युत द्वारा कार्यचालित है और जो माल या यात्री या दोनों के वहन हेतु परिकल्पित हो या वास्तव में प्रयुक्त हो;

(ड) "लिफ्ट केज" का तात्पर्य यात्रियों या माल या दोनों के परिवहन के लिए उपयोग की जाने वाली लिफ्ट की कार या केज से है;

(ढ) "लिफ्ट संस्थापन" में लिफ्ट केज, लिफ्ट वे, लिफ्ट वे एनक्लोजर, और लिफ्ट का प्रचालन तंत्र और लिफ्ट के प्रचालन से जुड़ी समस्त रस्सियां, केबल, तार, सुरक्षा उपबंध और संयंत्र तथा मशीनरी सम्मिलित हैं;

(ण) "लिफ्ट वे" का तात्पर्य शॉफ्ट या उत्तोलक मार्ग से है जिसमें लिफ्ट केज यात्रा करता है;

(त) "लिफ्ट वे एनक्लोजर" में लिफ्ट वे के आस पास या उसे घेरने वाली कोई भी महत्वपूर्ण संरचना सम्मिलित है;

(थ) "निरीक्षक" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट विद्युत निरीक्षक से है;

(द) "स्वामी" का तात्पर्य कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का निकाय या निगमित निकाय जो लिफ्ट, एस्केलेटर या मूविंग वॉक का स्वामी हो या उसका प्रचालन या अनुरक्षण करता हो, जिसमें इस निमित्त उसका प्राधिकृत अभिकर्ता सम्मिलित होगा, से है;

(ध) "यात्री" का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जो परिवहन के उद्देश्य से लिफ्ट या एस्केलेटर का उपयोग करता है;

स्पष्टीकरण :- इस खंड के प्रयोजन के लिए लिफ्ट ऑपरेटर को भी एक यात्री समझा जाएगा;

(न) "ऊर्जा" का तात्पर्य शक्ति के किसी भी रूप से है जो मानव या पशु अभिकरण द्वारा उत्पन्न नहीं किया जाता है;

(प) "परिसर" का तात्पर्य किसी संरचना, चाहे अस्थायी या स्थायी, जहां लिफ्ट या एस्केलेटर स्थापित हो, से है;

(फ) "विहित" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनायी गयी नियमावली द्वारा विहित से है;

(ब) "निजी परिसर" का तात्पर्य किसी का स्वयं का आवासीय घर, जिसमें एक तहखाना (बेसमेंट फ्लोर), भूतल और भूतल से ऊपर दो तल हों, जिसका उपयोग उसके स्वयं या उसके परिवार के सदस्यों द्वारा किया जाता है, से है;

(भ) "सार्वजनिक परिसर" का तात्पर्य वे समस्त परिसर जो "निजी परिसर" नहीं हैं, से है;

(म) "रेटेड स्पीड" का तात्पर्य उस गति से है जिस पर लिफ्ट या एस्केलेटर को प्रचालित करने के लिए परिकल्पित किया गया है;

(य) "नियम" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम से है;

(र) "उत्तर प्रदेश सरकार में ऊर्जा विभाग में सचिव" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश शासन में ऊर्जा विभाग में अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव या सचिव में से ज्येष्ठतम से है;

(ल) "धारा" का तात्पर्य इस अधिनियम की किसी धारा से है;

(व) "राज्य" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य से है।

3-(1) इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पश्चात् किसी भी परिसर में लिफ्ट या एस्केलेटर के संस्थापन हेतु आशयित स्थान के प्रत्येक स्वामी को राज्य सरकार, द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत ऐसे अधिकारियों को पूर्ण विवरण या जानकारी देते हुए ऐसे प्रपत्र में एक आवेदन करना होगा जैसा कि विहित किया जाय।

लिफ्ट या एस्केलेटर परिनिर्मित करने के लिए स्वामी द्वारा रजिस्ट्रीकरण

(2) उपधारा (1) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर, इस धारा के अधीन प्राधिकृत अधिकारी इसे रजिस्टर करेगा और आवेदक के साथ साझा की जाने वाली एक रजिस्ट्रीकरण संख्याजनित की जाएगी।

(3) "निजी परिसर" और "सार्वजनिक परिसर" के लिए आवेदन अलग-अलग रजिस्ट्रीकृत किए जाएंगे।

(4) रजिस्ट्रीकरण के पश्चात् स्वामी को अपनी लिफ्ट या एस्केलेटर धारा 11 के अधीन प्राधिकृत व्यक्ति से परिनिर्मित कराना होगा।

4-स्वामी जो धारा 3 के अधीन लिफ्ट या एस्केलेटर संस्थापन हेतु रजिस्ट्रीकृत हो, कमीशनिंग पूर्ण होने पर, लिफ्ट या एस्केलेटर के प्रयोग से पूर्व, इस प्रयोजन हेतु विहित प्रपत्र पर, शुल्क जैसा कि विहित किया जाय के साथ, ऐसे अधिकारियों को जैसा कि राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाय, को सूचित करेगा :

कमीशनिंग पूर्ण होने पर और लिफ्ट या एस्केलेटर के उपयोग से पूर्व सूचना दिया जाना

परन्तु यह कि सरकारी परिसर में कमीशन किये गये लिफ्ट या एस्केलेटर हेतु कोई शुल्क प्रभारित नहीं होगा।

5-स्वामी जो, धारा 3 के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो, और लिफ्ट या एस्केलेटर का कमीशनिंग पूर्ण कर लिया है और धारा 4 के अधीन इसकी सूचना दी है, वह निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा:

लिफ्ट या एस्केलेटर का अनुरक्षण

(क) वह यह सुनिश्चित करेगा कि उसके परिसर में लिफ्ट या एस्केलेटर का नियमित आवधिक अंतराल पर अनुरक्षण किया जाता है। उसे अनिवार्य रूप से ओ0ई0एम0 (मूल उपस्कर विनिर्माता) से या धारा 11 के अधीन रजिस्ट्रीकृत उसके प्राधिकृत सेवा प्रदाता से व्यापक ए0एम0सी0 लेनी होगी।

(ख) वह प्रत्येक वर्ष अपने लिफ्ट या एस्केलेटर या उनके अनुरक्षण के लिए की गई किसी अन्य व्यवस्था के लिए ए0एम0सी0 की एक प्रति ऐसे अधिकारियों को प्रस्तुत करेगा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा एक विहित प्रारूप पर इस निमित्त प्राधिकृत किया जाय:

परन्तु यह कि निजी परिसर में, कमीशन किये गये लिफ्ट या एस्केलेटर हेतु स्वामी द्वारा प्रत्येक वर्ष ए0एम0सी0 की प्रति प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं होगा;

(ग) वह यह सुनिश्चित करेगा कि लिफ्ट या एस्केलेटर का अनुरक्षण सक्षम व्यक्ति या धारा 11 के अधीन प्राधिकृत अभिकरण द्वारा कम से कम मासिक आधार पर किया जाए;

(घ) जब भी तकनीकी टीम अनुरक्षण या किसी खराबी को दूर करने के लिए आती है तो स्वामी को ए0एम0सी0 तकनीकी टीम से ठीक हालत में होने का प्रमाण पत्र लेना होगा और इस आशय की प्रविष्टि ए0एम0सी0 तकनीकी टीम द्वारा आवधिक अनुरक्षण हेतु लॉग बुक में की जायेगी;

(ङ) वह यह भी सुनिश्चित करेगा कि दिन-प्रतिदिन के प्रचालन के दौरान आने वाली किसी भी तकनीकी खराबी को तुरंत दूर किया जाए। जब तक ऐसी तकनीकी खराबी दूर नहीं हो जाती, तब तक स्वामी द्वारा लिफ्ट या एस्केलेटर पर "उपयोग में नहीं है" का दृश्यमान डिस्प्ले लगाना अनिवार्य होगा;

(च) सार्वजनिक परिसर में स्थापित लिफ्ट या एस्केलेटर के पास आवधिक अनुरक्षण की एक लॉग बुक रखी तथा प्रदर्शित की जाएगी और राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी भी अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर इसे प्रस्तुत किया जाएगा;

(छ) आपातकालीन स्थिति में लिफ्ट के भीतर फंसे यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिये, स्वामी या उसके प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा वर्ष में कम से कम दो बार मॉक ड्रिल अभ्यास किया जायेगा।

यात्री की सुरक्षा

6-स्वामी को बिजली आपूर्ति में किसी भी खराबी की स्थिति में अंदर फंसे यात्रियों को बचाने के लिए लिफ्ट या एस्केलेटर में एक स्वचालित बचाव युक्ति की स्थापना का उपबंध किया जाना सुनिश्चित करना होगा। युक्ति ऐसी होनी चाहिए कि लिफ्ट या एस्केलेटर निकटतम लैंडिंग तल पर पहुंचे और लैंडिंग और केज के दरवाजे खुल जायें। लिफ्ट में पर्याप्त प्रकाश होगा और यात्रियों द्वारा उपयोग हेतु द्विमार्गी-संचार प्रणाली होगी तथा लिफ्ट के भीतर आपातकालीन घंटी होगी जिसका उपयोग किसी भी आपात स्थिति में किया जायेगा। लिफ्ट में आपातकालीन उपबंधों का प्रयोग करने के तरीके के विषय में यात्रियों के लिए अनुदेशों का प्रदर्शन किया जायेगा :

परन्तु यह कि सार्वजनिक परिसरों में स्थापित समस्त लिफ्टों में सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगाया जायेगा।

बीमा

7-सार्वजनिक परिसर के मामले में, स्वामी को लिफ्ट या एस्केलेटर के प्रचालन के दौरान किसी भी दुर्घटना या अनिष्ट से पर्याप्त रूप से निपटने के लिए अनिवार्य रूप से बीमा लेना होगा ताकि ऐसे लिफ्ट या एस्केलेटर का उपयोग करने वाले यात्रियों के जोखिम को कवर किया जा सके और मृतक या घायल को संदेय धनराशि सरकार द्वारा विहित मानक के अनुरूप अवश्य होनी चाहिए :

परन्तु यह कि सरकारी परिसर में लिफ्ट या एस्केलेटर के लिए कोई बीमा अपेक्षित नहीं होगा।

भवन,
वैद्युत-यांत्रिक
संस्थापना और
लिफ्ट या
एस्केलेटर के लिए
विभिन्न संहिताओं
का अनुपालन

8-इस अधिनियम में अन्यथा प्रदान किए गए को छोड़कर, भवन के संबंध में प्रासंगिक अभ्यास संहिता जिसमें लिफ्ट या एस्केलेटर संस्थापित किया जाना है, लिफ्ट और एस्केलेटर स्वयं, कोई भी अन्य वैद्युत या यांत्रिक उपकरण और संस्थापना और प्रासंगिकता के किसी भी अन्य संहिता का पालन किया जाएगा। सार्वजनिक परिसरों में लिफ्ट और एस्केलेटर दिव्यांगों के अनुकूल होंगे।

रजिस्ट्रीकरण की
कालावधि

9-(1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकरण की अवधि लिफ्ट या एस्केलेटर के सम्पूर्ण जीवनकाल के लिए जैसा विनिर्माता द्वारा अभिनिश्चित किया जाये, विधि मान्य होगी।

(2) यदि विद्यमान लिफ्ट या एस्केलेटर में कोई परिवर्तन या परिवर्धन किया जाता है, तो नया रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य होगा।

(3) यदि संस्थापित किसी लिफ्ट या एस्केलेटर को किसी अन्य परिसर में अंतरित किया जाता है, तो नया रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य होगा।

(4) इस धारा की उपधारा (2) और (3) के अधीन संस्थापनाओं के लिए रजिस्ट्रीकरण की अवधि विनिर्माता द्वारा परिवर्तन या परिवर्धन या स्थानांतरण के पश्चात् यथा अभिनिश्चित लिफ्ट या एस्केलेटर के नए जीवन काल के लिए विधि मान्य होगी।

(5) परिसर में संस्थापित लिफ्ट या एस्केलेटर को विनिर्माता द्वारा विनिर्दिष्ट लिफ्ट या एस्केलेटर की समय अवधि समाप्त होने पर लिफ्ट या एस्केलेटर के स्वामी द्वारा अनइंस्टॉल कर दिया जाएगा।

10-(1) धारा 3 और 4 में किसी बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी, उस स्थान का प्रत्येक स्वामी जहां इस अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले लिफ्ट या एस्केलेटर संस्थापित किया गया है, इस अधिनियम के प्रारंभ होने की दिनांक से छह महीने के भीतर आवेदन करेगा। राज्य सरकार प्राधिकृत अधिकारियों को विहित शुल्क के साथ एक विहित प्रारूप पर ऐसे लिफ्टों या एस्केलेटर के प्रचालन के लिए रजिस्ट्रीकरण के लिए प्राधिकृत कर सकती है।

(2) इस अधिनियम के अन्य उपबंध इन लिफ्ट और एस्केलेटर पर लागू होंगे। यदि इस अधिनियम के उपबंधों को पूरा करने के लिए लिफ्ट या एस्केलेटर में किसी संशोधन या परिवर्तन की आवश्यकता है, तो इसे इस अधिनियम के प्रारंभ होने के तीस मास के भीतर पूरा किया जाएगा। तब तक, धारा 10 के अधीन आच्छादित ऐसे लिफ्ट और एस्केलेटर के लिए कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।

11-(1) ए0एम0सी0 के लिए अंतर्ग्रस्त अभिकरण और समस्त विनिर्माताओं, कमीशनिंग और संस्थापन अभिकरणों को राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारियों के साथ रजिस्ट्रीकृत करवाना होगा।

(2) उन्हें एक विहित प्रारूप पर और विहित शुल्क के साथ आवेदन करना होगा।

(3) उनके लिए वांछित योग्यताएं सरकार द्वारा विहित की जाएंगी।

(4) अधिनियम के उपबंधों या उसके अधीन बनायी गयी नियमावली के संबंध में किसी शिकायत या सूचना के मामले में, सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी, विनिर्माता या प्रवर्तन और संस्थापन अभिकर्ता या ए0एम0सी0 के लिये अंतर्ग्रस्त अभिकर्ता को कारण बताओ सूचना दे सकते हैं। सुनवाई का सम्यक् अवसर देने के पश्चात् यदि अधिकारी अधिनियम के उपबंधों या उसके अधीन बनायी गयी नियमावली का अनुपालन पाता है तो वह उसका रजिस्ट्रीकरण रद्द कर देगा।

12-(1) लिफ्ट या एस्केलेटर के संचालन के दौरान किसी दुर्घटना के परिणामस्वरूप मानव या पशु जीवन की हानि या चोट लगने की स्थिति में, स्वामी या स्वामी द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा जिला मजिस्ट्रेट या स्थानीय पुलिस स्टेशन के प्रभारी की अधिकारिता या किसी अन्य ऐसे अधिकारी जिन्हें सरकार इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को बिना किसी देरी के, लेकिन दुर्घटना होने के 24 घंटे के भीतर सूचित करना अनिवार्य होगा।

(2) धारा 12 (1) के अधीन दुर्घटना की स्थिति में, लिफ्ट या एस्केलेटर की संस्थापना में बचाव कार्य को छोड़कर किसी भी तरह से बाधा नहीं डाली जायेगी और ऐसे लिफ्ट या एस्केलेटर का कार्य जिला मजिस्ट्रेट, जो अधिकारिता रखने वाले विद्युत निरीक्षक से तकनीकी रिपोर्ट लेने के पश्चात् ही अनुज्ञा देंगे, की पूर्व लिखित अनुज्ञा के बिना पुनः प्रारम्भ नहीं होगा।

(3) आकस्मिक इतिहास की एक पृथक लॉगबुक रखी जाएगी और सार्वजनिक परिसर में संस्थापित लिफ्ट या एस्केलेटर के पास प्रदर्शित की जाएगी और सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी भी अधिकारी द्वारा पूछे जाने पर इसे प्रस्तुत किया जाएगा।

(4) धारा 12 (1) के अधीन किसी भी दुर्घटना के मामले में, जिला मजिस्ट्रेट को किसी विद्युत निरीक्षक और एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट से संयुक्त रूप से जांच करने और रिपोर्ट करने की अपेक्षा करेगा :-

(क) सार्वजनिक सुरक्षा को प्रभावित करने वाली किसी दुर्घटना के कारण के बारे में, जो लिफ्ट या एस्केलेटर की संस्थापना, प्रचालन और अनुरक्षण के कारण या उसके संबंध में हो सकती है, या

(ख) इस अधिनियम या उसके अधीन बनायी गयी नियमावली के नियमों के उपबंधों का किस तरह और किस सीमा तक अनुपालन किया गया है, जहां तक वे उपबंध किसी भी व्यक्ति की सुरक्षा को प्रभावित करते हैं।

जिला मजिस्ट्रेट जांच का आदेश देते समय एक अवधि उपदर्शित करेगा जिसके भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी।

विद्यमान लिफ्ट एवं एस्केलेटर के मामले में रजिस्ट्रीकरण

ए0एम0सी0 में अंतर्ग्रस्त विनिर्माता, कमीशनिंग और संस्थापन अभिकरण, अभिकरण का रजिस्ट्रीकरण

दुर्घटना और उनकी जांच रिपोर्ट

(5) इस धारा की उपधारा (4) के अधीन जांच करने वाले प्रत्येक विद्युत निरीक्षक और कार्यकारी मजिस्ट्रेट के पास साक्षी की उपस्थिति और दस्तावेजों तथा भौतिक वस्तुओं के प्रस्तुतीकरण और विद्युत निरीक्षक या ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा अपेक्षित प्रत्येक व्यक्ति जो भारतीय दंड संहिता 1860 (अधिनियम संख्या 95, सन् 1860) की धारा 176 के अर्थान्तर्गत ऐसा करने के लिए विधिक रूप से बाध्य हैं को प्रवर्तनीय करने के प्रयोजनार्थ सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (अधिनियम संख्या 5, सन् 1908) के अधीन सिविल न्यायालय की समस्त शक्तियां होंगी।

(6) जांच यथासंभव शीघ्रता से सम्पन्न की जायेगी, किन्तु जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बतायी गयी समय-सीमा के पश्चात् नहीं और जांच रिपोर्ट जिला मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत की जायेगी।

(7) राज्य सरकार द्वारा यथाविहित रीति से धारा 12(1) के अधीन दुर्घटना के मामले में मृतक के परिवार या घायल व्यक्ति या उसके विधिक अभिभावक, नाबालिग के मामले में, को जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अवधि जो विहित अवधि से पूर्व हो स्वामी द्वारा क्षतिपूर्ति सन्दर्भ की जायेगी। जांच रिपोर्ट या किसी भी दावे में दुर्घटना के लिए उत्तरदायी पाए गए किसी भी व्यक्ति से स्वामी आंशिक या पूर्ण रूप से मुआवजा वसूल कर सकता है।

(8) जिला मजिस्ट्रेट यह सुनिश्चित करेगा कि मृतक के परिवार या दुर्घटना में घायल व्यक्ति को धारा 12(1) के अधीन यथाशीघ्र सम्यक क्षतिपूर्ति दिया जाए किन्तु जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बताई गयी समय-सीमा से बाद में न हो स्वामी द्वारा क्षतिपूर्ति का संदाय करने में किसी भी देरी या विफलता के मामले में, जिला मजिस्ट्रेट, भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूली के लिए कठोर प्रावधानों का उपयोग करेगा।

लिफ्ट या एस्केलेटर के निरीक्षण के लिए किसी भी भवन में प्रवेश करने का अधिकार

13-(1) अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अननुपालन के संबंध में किसी भी शिकायत या किसी भी सूचना के मामले में, अधिकारिता वाला कोई भी विद्युत निरीक्षक और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्राधिकृत कार्यकारी मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति से सार्वजनिक परिसर में कमिश्निंग या स्थापित लिफ्ट या एस्केलेटर के निरीक्षण हेतु किसी भी भवन में प्रवेश कर सकता है।

(2) किसी भी विद्युत निरीक्षक या उपधारा (1) के अधीन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्राधिकृत कार्यकारी मजिस्ट्रेट के पास अधिनियम की धारा 12(5) में यथा उल्लिखित समस्त शक्तियां होंगी।

(3) निरीक्षण के पश्चात् निष्कर्षों की एक विस्तृत रिपोर्ट जो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बताई गयी समय-सीमा के बाद की न हो, के भीतर जिला मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत की जाएगी।

(4) रिपोर्ट के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट अधिनियम के उपबंधों और तदधीन बनाए गए नियमों के अननुपालन से संबंधित रिपोर्ट किए गए निष्कर्षों को सुधारने के लिए स्वामी को निदेश जारी करेगा। स्वामी या इस प्रयोजन के लिए स्वामी द्वारा प्राधिकृत कोई भी व्यक्ति इन निदेशों का पालन करेगा और जिला मजिस्ट्रेट को अनुपालन की रिपोर्ट यथासंभव शीघ्रता से देगा, किन्तु जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बताई गयी समय-सीमा के पश्चात् नहीं।

स्पष्टीकरण :- यदि अननुपालन मानव सुरक्षा को खतरे में डालने वाली गंभीर प्रकृति का है, तो जिला मजिस्ट्रेट आदेश देगा और स्वामी यह सुनिश्चित करेगा कि लिफ्ट या एस्केलेटर को ठीक होने तक क्रियाशील नहीं किया जाएगा।

(5) उपधारा (4) के अधीन निदेशों के अननुपालन, इस अधिनियम के अधीन दंडात्मक कार्यवाही के लिए होगी।

बकाया की वसूली

14-इस अधिनियम के अधीन शुल्क या ब्याज या क्षतिपूर्ति या किसी अन्य देयक के रूप में संदेय समस्त धनराशि भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूली योग्य होगी।

विलम्ब शुल्क

15-यदि स्वामी इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों के अधीन यथा विहित किसी भी समय सीमा का उल्लंघन करता है तो उससे विलंब शुल्क लिया जाएगा।

सद्भावनापूर्वक कृत कार्यवाही का संरक्षण

16-इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों या आदेश के अधीन सद्भावनापूर्वक कृत या किये जाने हेतु आशयित किसी बात के लिये किसी कार्यालय के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां संस्थित नहीं होंगी।

17-(1) इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन किसी भी व्यक्ति को संबोधित करके अपेक्षित या प्राधिकृत प्रत्येक नोटिस, आदेश या दस्तावेज को डाक द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक साधन के माध्यम से तामील कराया जा सकता है या छोड़ दिया जा सकता है,—

नोटिस, आदेश या दस्तावेजों का तामिलीकरण

(क) जहां स्थानीय प्राधिकारी के कार्यालय में, एक स्थानीय प्राधिकारी प्रेषिती है

(ख) जहां कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में कोई कंपनी प्रेषिती है या भारत में कंपनी के प्रधान कार्यालय में कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय भारत में नहीं होने की स्थिति में है।

(ग) जहां व्यक्ति के सामान्य या अंतिम ज्ञात स्थान या कारबार पर कोई अन्य व्यक्ति प्रेषिती है।

(2) इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन किसी भी परिसर के स्वामी या स्वामी के अभिकर्ता या अधिभोगी को संबोधित करके अपेक्षित या प्राधिकृत प्रत्येक नोटिस, आदेश या दस्तावेज को समुचित रूप से संबोधित समझा जाएगा, यदि परिसर (परिसर का नामकरण) के "स्वामी" या "स्वामी के अभिकर्ता" या "अधिभोगी" के विवरण द्वारा सम्बोधित किया जाता है और इसे परिसर में किसी व्यक्ति को या इसकी सत्य प्रतिलिपि तामिल कराकर या यदि परिसर में कोई व्यक्ति नहीं है तो युक्तियुक्त जल्परतापूर्वक तामिल करायी जा सकती है तथा इसे परिसर के किसी सहज दृश्य भाग पर चिपकाकर तामिल करायी जा सकती है।

18-(1) जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध अपील अधिकारिता वाले स्थितीयजन्तल कमिश्नर के समक्ष होगी।

अपील

(2) निदेशक, विद्युत सुरक्षा द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध अपील सचिव, ऊर्जा विभाग, उओप्रो शासन द्वारा अभिहित किसी अधिकारी के समक्ष होगी जो विशेष सचिव की श्रेणी से नीचे का न हो।

19-राज्य सरकार, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों का पालन करने के लिए नियम बना सकती है।

नियम बनाने की शक्ति

20-राज्य सरकार, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम या तदधीन बनायी गयी नियमावली के उपबंधों का पालन किये जाने से किसी परिसर को छूट प्रदान कर सकती है :

कतिपय परिसरों को छूट दिये जाने की शक्ति

परन्तु यह कि ऐसे परिसरों को छूट दिये जाने के लिये अधिसूचना में उचित औचित्य दिया जायेगा और यह छूट आपवादिक रूप से दिया जायेगा।

21-उत्तर प्रदेश में अवस्थित किसी भी सरकारी या अर्ध-सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के परिसर में स्थापित लिफ्ट या एस्केलेटर पर इस अधिनियम के उपबंधों को लागू करने समय, इस अधिनियम के उपबंध, अनुसूची में विनिर्दिष्ट सीमा तक उपांतरित किये जायेंगे।

सरकारी परिसरों में स्थापित लिफ्ट या एस्केलेटर पर अधिनियम का लागू होना

22-इस अधिनियम में अंतर्विष्ट कोई बात विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम संख्या 36, सन् 2003) या तदधीन बनायी गयी नियमावली के उपबंधों को प्रभावित नहीं करेगी।

व्यावृत्ति खण्ड

अनुसूची

(धारा 21 देखें)

- 1 धारा 3 की उपधारा (1) में, शब्द "प्रत्येक स्वामी" के स्थान पर शब्द "प्रत्येक सरकारी प्रभारी अधिकारी" रख दिये जायेंगे।
- 2 धारा 12 की उपधारा (1) में, शब्द "स्वामी या इस प्रयोजन के लिए स्वामी द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति" के स्थान पर शब्द "प्रत्येक सरकारी प्रभारी अधिकारी या उसके द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी" रख दिये जायेंगे।
- 3 धारा 17 की उपधारा (1)(क) में, शब्द "स्थानीय प्राधिकारी के कार्यालय में, जहां, स्थानीय प्राधिकारी प्रेषिती है", के स्थान पर शब्द "प्रभारी अधिकारी के कार्यालय में, जहां सरकार प्रेषिती है" रख दिये जायेंगे।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश में, नगरीकरण में तीव्र वृद्धि, औद्योगिक विकास और बहुमंजिला भवनों के प्रसार के कारण सार्वजनिक के साथ-साथ निजी परिसरों में भी लोगों के मध्य लिफ्ट और एस्केलेटर के उपयोग में बढ़ोतरी हो रही है। राज्य में लिफ्ट और एस्केलेटर के उपयोग में बढ़ोतरी के साथ ही उनसे सम्बंधित दुर्घटनाओं में भी बढ़ोतरी हो रही है। राज्य में लिफ्ट और एस्केलेटर से संबंधित किसी अधिनियमिति के अभाव में बहुमंजिला भवनों में संस्थापित लिफ्ट और एस्केलेटर पर कोई प्रभावी नियंत्रण नहीं है तथा भवन स्वामी किसी सुरक्षा नियमों का पालन किये बिना मनमाने ढंग से लिफ्ट और एस्केलेटर संचालित कर रहे हैं। बहुमंजिला भवनों में निर्माणकर्ता द्वारा संस्थापित लिफ्ट में सुरक्षा युक्तियों का प्रयोग न किए जाने के कारण आवंटियों द्वारा संबंधित विकास प्राधिकरण तथा अन्य मंचों पर शिकायतें की जा रही हैं।

लिफ्ट और एस्केलेटर का उपयोग बहुधा वृद्ध व्यक्तियों, बच्चों और दिव्यांग व्यक्तियों सहित जनसाधारण द्वारा किया जाता है। लिफ्ट और एस्केलेटर का उपयोग करते समय उनकी सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए यह सख्ती से सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है कि लिफ्ट और एस्केलेटर का विनिर्माण, निर्माण, गुणवत्ता, अंतर्निहित सुरक्षा सुविधाएं, संस्थापना, संचालन और अनुरक्षण सुसंगत संहिताओं और प्रक्रियाओं के अनुषक्ति में हो।

उपरोक्त के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश राज्य में लिफ्ट और एस्केलेटर और उनसे संबंधित समस्त मशीनरी और साधित्रों के निर्माण, संस्थापन, अनुरक्षण और सुरक्षित चालन के रजिस्ट्रीकरण तथा विनियमन और उससे सम्बंधित तथा आनुषंगिक मामलों का उपबंध करने लिए एक विधि बनाये जाने का विनिश्चय किया गया है।

तदनुसार, उत्तर प्रदेश लिफ्ट और एस्केलेटर विधेयक, 2024 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
अतुल श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव।

No. 64(2)/LXXIX-V-1-2024-1-ka-5-2024

Dated Lucknow, February 26, 2024

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Lifts and Escalator Adhiniyam, 2024 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 4 of 2024) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on February 26, 2024. The Urja Anubhag-3, is administratively concerned with the said Adhiniyam.

THE UTTAR PRADESH LIFTS AND ESCALATORS ACT, 2024

(U.P. Act no. 4 of 2024)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

to provide for the registration and regulation of the construction, installation, maintenance and safe working of lifts and escalators and all machinery and apparatus pertaining thereto in the State of Uttar Pradesh and for matters connected therewith and incidental thereto.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy-fifth Year of the Republic of India as follows: -

Shon title and extent

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Lifts and Escalators Act, 2024.

(2) It extends to whole of the State of Uttar Pradesh.

2. In this Act, unless the context otherwise requires,—

Definitions

- (a) "AMC" means Annual Maintenance Contract;
- (b) "Automatic Rescue Device" or "ARD" means a device that operates automatically in case of failure or loss of power supply to move the lift car to a landing and open the landing and lift cage doors simultaneously;
- (c) "Baluster" means a short pillar slender above and bulging below;
- (d) "Balustrade" means a part of escalator or moving walk which ensures the users safely by providing stability, protecting from moving parts and supporting the handrail. It also means barricades on top of the elevator car to prevent fall hazard;
- (e) "Combplate" means a pronged plate that forms part of an escalator landing and engages with the cleats of the steps at the limits of travel;
- (f) "Director, Electrical Safety" means Director of Electrical Safety, Government of Uttar Pradesh and shall include Additional Director of Electrical Safety and Joint Director of Electrical Safety authorized by him;
- (g) "District Magistrate" means the District Magistrate having jurisdiction;
- (h) "Divisional Commissioner" means Divisional Commissioner of a Revenue Division having jurisdiction;
- (i) "Escalator" means a moving inclined continuous stairway or runway used for raising or lowering passengers which is worked by power;
- (j) "Escalator Installation" means an installation which includes the escalator, the operating mechanism, the track, the trusses or girders, the balustrades, the step treads and landings and all chains, wires and plants directly connected with the operation of the escalator;
- (k) "Government" means the Government of the State of Uttar Pradesh;
- (l) "Lift" means a hoisting and lowering mechanism equipped with a cage which moves in an upward and downward direction, and is worked by power and is designed or is actually used to carry passengers or goods or both excluding the hoists or lifts which are covered under the Factories Act, 1948 (Act no. 63 of 1948);
- (m) "Lift Cage" means the car or cage of a lift used for the conveyance of passengers or goods or both;
- (n) "Lift Installations" include the lift cage, the lift way, the lift way enclosure, and the operating mechanism of the lift and all ropes, cables, wires, safety provisions and plant and machinery connected with the operation of the lift;
- (o) "Lift Way" means the shaft or hoist way in which the lift cage travels;

(p) "Lift Way Enclosure" includes any substantial structure surrounding or enclosing the lift way;

(q) "Inspector" means Electrical Inspector nominated by Government of Uttar Pradesh ;

(r) "Owner" means a person or body of persons or a body corporate who owns or operates or maintains lift, escalator or moving walk and shall include his authorized agent for this behalf;

(s) "Passenger" means any person who uses the lift or escalator for the purpose of the conveyance;

Explanation :- For the purpose of this clause , a lift operator shall also be deemed to be a passenger;

(t) "Power" means any form of energy which is not generated by human or animal agency;

(u) "Premises" means any structure, whether temporary or permanent, where a lift or escalator is installed;

(v) "Prescribed" means prescribed by rules made under this Act;

(w) "Private Premise" means someone's own residential house, having one basement floor, ground floor and two floors above ground floor , used by his own self or by his family members ;

(x) "Public Premise" means all premise which are not "Private Premise" ;

(y) "Rated Speed" means the speed at which the lift or escalator is designed to operate;

(z) "Rules" means rules made under this Act;

(aa) "Secretary in Power Department in Government of Uttar Pradesh" means senior most amongst Additional Chief Secretary or Principal Secretary or Secretary in Power Department in Government of Uttar Pradesh;

(ab) "Section" means a section of this Act;

(ac) "State" means the State of Uttar Pradesh .

Registration by
owner to erect
lift or escalator

3. (1) Every owner of a place intending to install a lift or an escalator in any premise after the commencement of this Act, shall make an application in such form as may be prescribed giving full details or information as prescribed, to such officers as the Government may authorize in this behalf.

(2) On receipt of an application under sub section (1), the officer authorized under this section shall register it and a registration number shall be generated to be shared with the applicant.

(3) Applications for "Private Premise" and "Public Premise" shall be registered separately.

(4) After registration, the owner shall get his lift or escalator erected by a person authorized under section 11.

Intimation on
completion of
commissioning
and before use of
lift or escalator

4. The owner who has registered to install a lift or escalator under section 3 shall intimate the completion of commissioning, before use of lift or escalator, to such officers as the Government may authorize in this behalf on a prescribed format for the purpose along with a fee as may be prescribed :

Provided that for the lifts or escalators commissioned in Government premises, no fee shall be charged.

5. The owner who has registered under section 3 and has completed commissioning of the lift or escalator and intimated the same under section 4, shall ensure the following:- Maintenance of lift or escalator

(a) he shall ensure that the lift or escalator in his premise is maintained on a regular periodic interval. He shall compulsorily take comprehensive AMC from the OEM (Original Equipment Manufacturer) or his authorized service provider registered under section 11 ;

(b) he shall submit every year a copy of the AMC for his lift or escalator or any other arrangement made for the maintenance of lifts and escalators to such officers as the Government may authorize in this behalf on a prescribed format ;

Provided that for the lifts or escalators commissioned in private premises, the owner shall not be required to submit the copy of the AMC every year ;

(c) he shall ensure that the lift or escalator is maintained by the competent person or agency authorized under section 11 at least on monthly basis ;

(d) he shall take a fitness certificate from the AMC technical team every time the technical team visits for maintenance or attending to any fault and the entry to this effect shall be made by the AMC technical team in the logbook for periodic maintenance ;

(e) he shall also ensure that any technical fault coming up during day-to-day operations, are attended promptly. Till such technical fault is attended, it shall be obligatory on part of the owner to place a visible display for "NOT IN USE" of the lift or escalator ;

(f) A logbook of periodic maintenance shall be maintained and displayed near lift or escalator installed in Public Premise and the same shall be produced when asked by any such officers as the Government may authorize in this behalf ;

(g) A mock drill exercise shall be taken up at least twice in a year by the owner or his authorized person for safe exit of passengers trapped inside the lift in case of an emergency.

6. The owner shall ensure the provision of installation of an automatic rescue device in the lift to rescue the travelling passengers trapped inside, in case of any breakdown. The device shall be such that the lift reaches at the nearest landing floor and keeping the landing and cage doors open. There shall be adequate light in the lift and two-way communication system to be used by the passenger and emergency bell inside the lift to be used in case of any emergency. There shall be a display of instructions for the passengers about how to use the emergency provisions in the lift : Safety of passenger

Provided that CCTV camera shall be installed in all lifts installed in public premises.

7. In case of Public Premise, the owner shall take insurance mandatorily to cater adequately to any accidents or mishaps during operations of the lift or escalator to cover the risk of passengers using such lift or escalator and the amount payable to the deceased or injured must be commensurate to the norms prescribed by the Government : Insurance

Provided that for the lifts or escalators commissioned in Government premises, no insurance shall be required.

Compliance of various codes for building, electrical-mechanical installation and lift or escalator

8. Save as otherwise provided in this Act, the relevant code of practice with respect to building in which the lift or escalator is to be installed, the lift and escalator itself, any other electrical or mechanical apparatus and installations and any other code of relevance, shall be adhered to. The lifts and escalators in public premises shall be disabled-friendly.

Duration of registration

9. (1) Every registration shall be valid for a period of whole life of the lift or escalator as ascertained by the manufacturer.

(2) In case any alteration or addition is made to an existing lift or escalator, fresh registration shall be mandatory.

(3) In case any lift or escalator installed is shifted to some other premise, fresh registration shall be mandatory.

(4) The period of registration for installations under sub-sections (2) and (3) of this section shall be valid for the fresh life span of the lift or escalator as ascertained by the manufacturer after alteration or addition or shifting.

(5) A lift or escalator installed in the premises shall be uninstalled by the owner of the lift or escalator on expiry of life span of the lift or escalator specified by the manufacturer.

Registration in case of existing lifts and escalators

10. (1) Notwithstanding anything contained in sections 3 and 4, every owner of a place in which a lift or an escalator has been installed prior to the commencement of this Act, shall, within six months from the date of the commencement of this Act, apply to such officers as the Government may authorize in this behalf for registration for operating such lifts or escalators on a prescribed format along with prescribed fee.

(2) The other provisions of this Act shall be applicable on these lifts and escalators. In case any modifications or alterations are required in the lift or escalator to meet out the provisions of this Act, it shall be completed within thirty months from the date of commencement of this Act. Till then, no punitive action shall be taken for such lifts and escalators which are covered under section 10.

Registration of manufacturer, commissioning and installing agency, agency involved in AMC

11. (1) All manufacturers, commissioning and installing agencies and agencies involved for AMC shall get them registered with such officers as the Government may authorize in this behalf.

(2) They shall have to apply for such registration on a prescribed format and along with prescribed fee.

(3) The desired qualifications for them shall be as prescribed by the Government.

(4) In case of any complaint or any information regarding non-compliance of the provisions of the Act or rules made thereunder, such officers as the Government may authorize in this behalf, may give a show cause notice to the manufacturer or commissioning and installing agency or agency involved for AMC. After giving due opportunity of hearing, if the officer finds non-compliance of the provisions of the Act or rules made thereunder he shall cancel his registration.

12. (1) In case of any accident during operation of a lift or escalator resulting into loss of or injury to human or animal life, it shall be obligatory on the part of the owner or any other person duly authorized by owner for the purpose to inform the District Magistrate and in-charge of Police Station having jurisdiction or any other such officers as the Government may authorize in this behalf without any delay but not later than 24 hours of the occurrence of the accident.

Report of
accidents and
inquiries thereof

(2) In case of an accident under section 12 (1), the lift or escalator installation shall not be interfered with in any manner except for the rescue operation and the working of such lift or escalator shall not be resumed except with the prior written permission of the District Magistrate who shall give permission only after taking a technical report from Electrical Inspector having jurisdiction.

(3) A separate logbook of accidental history shall be maintained and displayed near lift or escalator installed in Public Premise and the same shall be produced when asked by any such officers as the Government may authorize in this behalf.

(4) In case of any accident under section 12 (1), the District Magistrate shall require any Electrical Inspector and an Executive Magistrate, jointly, to inquire and report.—

(a) as to the cause of any accident affecting the safety of the public, which may have been occasioned by or in connection with the installation, operation and maintenance of lift or escalator : or

(b) as to the manner in, and extent to which the provisions of this Act or the rules made thereunder, so far as those provisions affect the safety of any person, have been complied with.

The District Magistrate, while ordering the inquiry, shall indicate a period within which the report shall be submitted.

(5) Every Electrical Inspector and Executive Magistrate holding an inquiry under sub section (4) of this section shall have all the powers of a Civil Court under the Code of Civil Procedure, 1908 (Act no. 5 of 1908) for the purpose of enforcing the attendance of witness and compelling the production of documents and the material objects, and every person required by an Electrical Inspector or such other person who are legally bound to do so within the meaning of section 176 of Indian Penal Code, 1860 (Act no. 45 of 1860).

(6) The inquiry shall be concluded as expeditiously as possible, but not later than the time-limit indicated by District Magistrate and the Inquiry Report shall be submitted to the District Magistrate.

(7) Financial compensation shall be paid to the family of the deceased or to the person injured or his legal guardian, in case of a minor, in case of accident under section 12 (1) in the manner as may be prescribed by the Government for the purpose, by the owner not later than the period prescribed since submission of inquiry report. Owner may recover the compensation partly or fully from anyone found responsible for the accident in the inquiry report or any insurance claim.

(8) The District Magistrate shall ensure that due compensation is paid to the family of the deceased or to the person injured in the accident under section 12 (1) as expeditiously as possible, but not later than the time-limit indicated by District Magistrate. In case of any delay or failure to pay compensation by the owner, the District Magistrate shall use coercive provisions as done for the recovery as arrears of land revenue.

Right to enter
any building for
inspection of
lift or escalator

13. (1) In case of any complaint or any information regarding non-compliance of the provisions of the Act or rules made thereunder, any Electrical Inspector having jurisdiction and Executive Magistrate authorized by District Magistrate may enter any building for inspection of lift or escalator under commissioning or installed in public premises with prior permission of District Magistrate.

(2) Any Electrical Inspector and Executive Magistrate authorized by District Magistrate under sub-section (1) shall have all powers as mentioned in section 12(5) of the Act.

(3) A detailed report of the findings after inspection shall be submitted to the District Magistrate as expeditiously as possible, but not later than the time-limit indicated by District Magistrate.

(4) Based on the report, the District Magistrate shall issue directions to the owner to rectify the reported findings relating to non-compliance of the provisions of the Act and rules made thereunder. The owner or any person authorized by owner for the purpose shall comply these directions and report compliance to the District Magistrate as expeditiously as possible, but not later than the time-limit indicated by District Magistrate.

Explanation: In case the non-compliance is of serious nature endangering human safety, the District Magistrate shall order and the owner shall ensure that the lift or escalator shall not be in operation till it is rectified.

(5) Non-compliance of the directions under sub - section (4) shall lead to penal action under this Act.

Recovery of
Dues

14. All sum payable as fees or interest or compensation or any other dues under this Act shall be recoverable as arrears of the land revenue.

Late Fees

15. A late fee shall be charged to the owner in case he violates any timeline prescribed under this Act or rules made thereunder as prescribed.

Protection
for acts done
in good faith

16. No suit, prosecution or other legal proceedings shall be instituted against any office for anything which is done in good faith, or intended to be done under this Act or the rules or the order made thereunder.

Service of
notices, orders
or documents

17. (1) Every notice, order or document by or under this Act required or authorized to be addressed to any person may be served by post or through electronic mode or left —

(a) where a local authority is the addressee, at the office of the local authority ;

(b) where a company is the addressee, at the registered office of the company or in the event of the registered office of the company not being in India, at the head office of the company in India ;

(c) where any other person is the addressee, at the usual or last known place of abode or business of the person.

(2) Every notice, order or document by or under this Act required or authorized to be addressed to the owner or the agent of the owner or occupant of any premises shall be deemed to be properly addressed, if addressed by the description of the "owner" or "agent of the owner" or "occupant" of the premises (naming the premises) and may be served by delivering it or a true copy thereof to some person on the premises or, if there is no person on the premises to whom the same can with reasonable diligence be delivered, by affixing it on some conspicuous part of the premises.

18. (1) Appeals against the orders passed by District Magistrate shall lie to the Appeals
Divisional Commissioners having jurisdiction.

(2) Appeals against the orders passed by Director, Electrical Safety shall lie to an
officer designated by Secretary in Power Department in Government of Uttar Pradesh not
below the rank of Special Secretary.

19. The State Government may, by notification in the Official Gazette, make rules Power to
to carry out the purposes of this Act. make rules

20. The State Government may, by notification in the Official Gazette, exempt any Power to
premise from adhering to the provisions of this Act or rules made thereunder : exempt certain
premises

Provided that due justification shall be given in the notification for exempting such
premise and it will be done exceptionally.

21. In the application of the provision of this Act to lifts or escalators installed in Application of
any premise situated in Uttar Pradesh belonging to any Government or Semi-Government Act to lifts or
or Public Sector Undertakings, the provisions of this Act shall be modified to the extent escalators
specified in the Schedule. installed in
Government
premises

22. Nothing contained in this Act shall affect the provisions of the Electricity Saving Clause
Act, 2003 (Act no. 36 of 2003) or any rules made thereunder.

SCHEDULE
(See section 21)

1	In sub-section (1) of section 3, for the words "every owners", the words "every Government Officer-in-charge" shall be substituted.
2	In sub-section (1) of section 12, for the words "the owner or any other person duly authorized by owner for the purpose", the words "every Government Officer-in-charge or any other officer duly authorized by him" shall be substituted .
3	In sub-section (1) (a) of section 17, for the words "where a local authority is the addressee, at the office of the local authority", the words "where government is addressee, at the office of the officer-in-charge" shall be substituted .

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Due to rapidly increasing urbanization, industrial growth and proliferation of multi-storey buildings in Uttar Pradesh, the use of lifts and escalators is increasing among people in public as well as private premises. With the increasing use of lifts and escalators in the State, accidents related to them are also increasing. In the absence of an enactment pertaining to lifts and escalators in the state, there is no effective control on the lifts and escalators installed in multi-storied buildings and building owners are operating lifts and escalators arbitrarily without following any safety rules. Due to non-use of safety devices in lifts installed by builders in multi-storey buildings, complaints are being made by the allottees to the concerned development authority and other forums.

Lifts and escalators are frequently used by the general public including elderly persons, children and persons with disabilities. Their safety, while using lifts and escalators is of utmost importance. With this objective in mind, it is required to be strictly ensured that the manufacturing, construction, quality, built-in safety features, installation, operation and maintenance of lifts and escalators is in adherence to the relevant codes and procedures.

In view of the above, it has been decided to make a law to provide for the registration and regulation of the construction, installation, maintenance and safe working of lifts and escalators and all machinery and apparatus pertaining thereto in the State of Uttar Pradesh and for matters connected therewith and incidental thereto.

The Uttar Pradesh Lifts and Escalators Bill, 2024 is introduced, accordingly.

By order,
ATUL SRIVASTAVA,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 1140 राजपत्र-2024-(3161)-599 प्रतियां (डी०टी०पी०/ऑफसेट)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 175 सा० विधायी-2024-(3162)-300 प्रतियां (डी०टी०पी०/ऑफसेट)।